

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा

(प्रशासन गांवो के संग/कैम्प कोर्ट) केम्प.....

आदेश

कैपूदा

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी..... कैपूदा मू0अ0नि0.

रामपुरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपल्दा/नायब तहसीलदार..... पीपल्दा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम..... कैपूदा तहसील पीपल्दा व जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ~~2078~~ में..... जमावारी खाता संख्या नया 85 ~~पुराना 78~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

कसं0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>कैपूदा</u>	<u>नया 85</u> <u>पुराना 78</u>	<u>रकम नं 411 की</u> <u>रकम 1.75 है</u> <u>रकम नं 418 रकम</u> <u>1.36 है कुल रकम</u> <u>2 की कुल 3.11 है</u> <u>में श्रीलाल पुह</u> <u>गजानन्द गुजरि</u>	<u>ग्राम कैपूदा की श्री दे शक्ति</u> <u>रकम नं 411 व रकम नं</u> <u>418 की 1.75</u> <u>1.36 है कुल रकम 2 की</u> <u>कुल रकम 3.11 है</u> <u>में श्रीलाल पुह श्री</u> <u>गजानन्द जाहि गुजरि</u> <u>निवासी कैपूदा</u>

पीपल्दा अधिकारी

लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा

कमांक.....

दिनांक 2-10-21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार पीपल्दा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री..... श्री लाल पुह रकम गजानन्द नि कैपूदा को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रवाली।

पीपल्दा अधिकारी

लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र-5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ३५०६

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- २/प्रो. वर प्रीता (२०५)

उपखण्ड अधिकारी

उपनाम

सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम २/२०५

दावा बाबत ४४, ४९ २/२०५

मुकदमा नम्बर - ३/२०२१

निर्णय दिनांक - २-१०-२१

वादी की ओर से सुरेन्द्र वर्मा की व प्रतिवादी की ओर से २/२०५

की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख २-१०-२१ को S.D.M. ३५०६ (नाम पीठासीन अधिकारी)

२/प्रो. वर प्रीता (२०५) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है

और डिक्री की जाती है कि -

व्यक्तिगत म वसूली के लिए वादावधि का ३१/१०/२१

के २०२५ के २०२१ की शक्ति २०२१ ५११ २०२१ १-२५ के, ख.नं. ५१४ २०२१ १-३६ के

व्यक्तिगत म वसूली के लिए वादावधि का ३१/१०/२१ के अन्तर्गत म वसूली के लिए वादावधि का ३१/१०/२१

व्यक्तिगत म वसूली के लिए वादावधि का ३१/१०/२१ के अन्तर्गत म वसूली के लिए वादावधि का ३१/१०/२१

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख २-१०-२१ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. अदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर के लिए फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	